यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अपर परियोजना निदेशक उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अपर परियोजना निदेशक उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी देहरादून के माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, तथा श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 14.01.2019 से 24.01.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री जतिन राणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.2018 से 27.01.2018 व 06.02.2018 से 09.02.2018 तक श्री बी° डी° सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी जिसमें माह 01/2017 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र -: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखंड प्रदेश में एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधियों का संचालन, भौगोलिक क्षेत्र समस्त उत्तराखंड प्रदेश |

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत	आधिक्य (+)	बचत
2017-18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2018-19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ब) Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	(2018-19) (जनवरी 2018 तक)
प्रारम्भिक शेष	रु० 437.35 लाख	रु० 131.50लाख	रु० 326.7९ लाख	रु० 696.49 लाख
आवंटन				
(i) राजयांश	-	-	-	
(ii) केंद्रान्श	रु० 969.49 लाख	रु० 1,210.97 लाख	रु० 1191.83लाख	रु० 605.27 लाख

(iii) अन्य (बैंक ब्याज आदि)	रु० 11.09 लाख	रु० 19.79 लाख	रु० 21.55 लाख	रु० 17.93 लाख
योग	रु०1,417.93लाख	रु० 1,362.26 लाख	रु०1540.17लाख	रु०1319.69लाख
व्यय	रु०1286.43 लाख	रु० 1035.47 लाख	रु० 843.68 लाख	रु० 657.76 लाख
शेष	रु० 131.50 लाख	रु० 326.79 लाख	रु० 696.49 लाख	रु० 661.93 लाख

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2016-17	--	--	--	--	--	--
2017-18	--	--	--	--	--	--
2018-19	--	--	--	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. मुख्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य
3. परियोजना अधिकारी
4. अपर परियोजना अधिकारी/सदस्य सचिव

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा, 01/2018 से 12/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1- योजना के प्रचार-प्रसार एवं लक्षित हस्तक्षेप की मदों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप धनराशि व्यय न किया जाना।

अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के क्लॉज़ पाँच के अनुसार प्रत्येक त्रेमास हेतु धनराशि व्यय किए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके अनुसार प्रथम, द्वितीय, त्रतीय एवं चतुर्थ त्रेमास में क्रमशः 19, 24, 24 एवं 33 प्रतिशत धनराशि व्यय की जानी थी। तदनुसार, न्यूनतम व्यय न किए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा न केवल वार्षिक योजना घटेगी अपितु आगामी त्रेमास में कम धनराशि अवमुक्त की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखा अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि समिति द्वारक निर्धारित लक्ष्यों से कम धनराशि का व्यय किया गया जैसा कि निम्न तालिका में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है:

(धनराशि लाख में)

त्रेमास	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के अनुसार व्यय की जाने वाली धनराशि	वास्तविक व्यय	निर्धारित लक्ष्य से कम व्यय
प्रथम	19%	233.74	113.65 (9.24%)	9.76 %
द्वतीय	24%	295.25	138.42 (11.25%)	12.75%
त्रतीय	24%	295.25	311.06 (25.28%)	-
चतुर्थ	33%	405.98	250.55 (20.36%)	10.20%
योग	100%	1230.22	843.68 (68.58%)	386.54(31.42%)

इस प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में कुल अनुमोदित धनराशि का 68.58 प्रतिशत धनराशि का ही व्यय किया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में नाको द्वारा कुल रु 1194.11 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी थी, जिसके सापेक्ष दिसंबर 2018 तक कुल रु 657.76 (55.08%) लाख की धनराशि व्यय की जा सकी थी। आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पूर्ण अनुमोदित धनराशि व्यय न किए जाने के कारण योजना की महत्वपूर्ण गतिविधियां संपादित नहीं की गयी। जैसा कि 2017-18 में प्रचार-प्रसार (Information Education Communication) कार्यक्रम एवं लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Intervention) में निर्धारित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः 29.17 प्रतिशत एवं 21.52% धनराशि व्यय कि गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर तथ्यों को स्वीकारते हुए अपर परियोजना निदेशक ने कहा कि TI एवं IEC में निर्धारित धनराशि व्यय नहीं की जा सकी, भविष्य में पूर्ण धनराशि व्यय कर ली जाएगी। इस प्रकार योजना की उक्त मदों के अंतर्गत अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष कम व्यय किया गया। जिससे योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-2- निर्धारित सीमा से अधिक व्यय

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एड्स नियंत्रण विभाग) द्वारा जारी (अगस्त 2014) दिशा-निर्देशों के अनुसार NACP-IV के अवधि के दौरान राज्यों को बीमारी के भार के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसके अनुसार उत्तराखंड में Institutional Strengthening and Project Management (ISPM) पर कार्यक्रम पर हुए कुल व्यय के 12 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ISPM पर निर्धारित सीमा से अधिक किए गए व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यक्रम पर कुल 8.44 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी तथा ISPM पर रु 1.49 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ISPM पर कुल (8.44x12%= 1.01 करोड़) की धनराशि का ही व्यय किया जाना चाहिए था। परंतु, समिति के 2017-18 के लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया की ISPM पर रु 1.49 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया जो निर्धारित सीमा से 0.48 करोड़ अधिक था। आगे, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्धारित सीमा से किए गए अधिक व्यय को राज्य सरकार के संज्ञान में भी नहीं लाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर परियोजना निदेशक ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि ISPM पर निर्धारित सीमा से अधिक हुए व्यय को राज्य सरकार के संज्ञान में नहीं लाया गया, अतः उक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया गया।

अतः ISPM पर निर्धारित सीमा से अधिक हुए व्यय को शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर-3- अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

NACO द्वारा जारी Financial Management Operational Guidelines के पैरा 6.5.2 के अनुसार नए अग्रिम जारी किए जाने से पूर्व, पूर्व में दिये गए अग्रिमों का समायोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समिति के 2017-18 एवं 2018-19 के लेखा-अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि रु 25.05 लाख के अग्रिम जो 2009-10 से 2017-18 के दौरान जारी किए गए थे, उन्हे समायोजित नहीं किया गया। आगे, जांच में पाया गया कि संबन्धित संस्थाओं द्वारा पूर्व में जारी किए गए अग्रिमों का समायोजन न किए जाने के वावजूद भी उन्हे दिशा-निर्देशों के विपरीत नए अग्रिम जारी किए जाते रहे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर परियोजना निदेशक ने उत्तर दिया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 4 गैर-शासकीय संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों का अनुश्रवण न किया जाना।

नाको द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Intervention Activities) गैर-शासकीय संस्थाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं। उक्त गतिविधिओं के सम्पादन हेतु समिति एवं गैर-शासकीय संस्थाओं के साथ अनुबंध निष्पादिन किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 29 गैर-शासकीय संस्थाओं के साथ अनुबंध गठित गए थे। गठित किए गए अनुबंध में निम्न शर्तों का प्रविधान किया गया था:

- अनुदान दाता द्वारा एक लेखापरीक्षकों का पेनल गठित किया जाएगा जो छेः महीनों में एक बार गैर-शासकीय संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा करेगा;
- अनुदान दाता (समिति), अनुदान ग्राही (गैर-शासकीय संस्था) द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक समीक्षा एवं अनुश्रवण त्रतीय पक्ष द्वारा कराएगा;
- अनुदान दाता, अनुदानग्राही से संभावित हानि के संदर्भ में इंडेमनिटी प्राप्त करेगा;
- अनुदानग्राही उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ बैंक स्टेटमेंट की प्रति प्रस्तुत करेगा; एवं
- मासिक समीक्षा बैठकों में परियोजना निदेशक द्वारा अनुपस्थिति की स्थिति में संबन्धित माह का मानदेय देय नहीं होगा।
- समीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक होने पर संस्था के परियोजना निदेशक के मानदेय से 50 प्रतिशत कि कटौती कि जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान गैर-शासकीय संस्थाओं के पास रु 2.79 करोड़ तथा 2018-19 में र 3.02 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी। जिसके सापेक्ष क्रमशः 0.48 करोड़ एवं 2.81 करोड़ धनराशि व्यय की गयी। लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षकों का पेनल गठित नहीं किया गया, त्रतीय पक्ष द्वारा कार्यों कि समीक्षा एवं अनुश्रवण नहीं कराया गया, इंडेमनिटी बॉन्ड प्राप्त नहीं किए गए, बैंक स्टेटमेंट प्राप्त नहीं किए गए। आगे, जांच में यह भी पाया गया कि तीन गैर शासकीय संस्थाओं के 60 अंक से कम थे, फिर भी परियोजना निदेशक के मानदेय से 50 प्रतिशत कटौती नहीं की गयी।

इस प्रकार अनुबंध के उपरोक्त प्रविधानों के अनुपालन के अभाव में गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय एवं कार्यों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर परियोजना निदेशक ने स्वीकार किया कि लेखापरीक्षकों का पेनल गठित नहीं किया गया, त्रतीय पक्ष द्वारा कार्यों कि समीक्षा एवं अनुश्रवण नहीं कराया गया, इंडेमनिटी बॉन्ड प्राप्त नहीं किए गए, बैंक स्टेटमेंट प्राप्त नहीं किए गए एवं यह भी कहा कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध कि शर्तों के अनुसार गैर शासकीय संस्था के कार्यों कि समीक्षा, अनुश्रवण एवं लेखाओं कि जांच कि जानी चाइए थी ताकि उनके द्वारा किए गए व्यय का औचित्य सिद्ध हो सके।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
81/2011-12	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4	---
172/2013-14	-----	1,2	1
138/2016-17	1	1,2,3,4,5	-----
210/2017-18	----	1	2

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अपर परियोजना निदेशक उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ. अर्जुन सिंह सेंगर	अपर परियोजना निदेशक	
श्री संत राम पांचाल	उप निदेशक (वित्त)	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अपर परियोजना निदेशक उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.